(126)

COURT FEE 10 RUPEES / COURT FEE 20 RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–दतिया R 371-I-17

अरूण भारती पुत्र श्री श्याम सुन्दर भारती निवासी – 99/2 हाउसिंग बोर्ड नगर पालिका के सामने दतिया जिला दतिया (म.प्र.)

...... आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 28.1.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 28.1.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला दतिया (म.प्र.)

2– अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

28/01/17

न्यायालय/कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/बी–121/2016–17 में जारी सूचना पत्र दिनांक 30.12.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवदेक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फाईल नं. 14/138/एम.पी. 216/इ.एस.डी.डब्लयू नई दिल्ली दिनांक 27.07.2016 आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के पत्र क्रमांक 3519 दिनांक 16.05.2016 सचिव कार्मिक म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 1581/2212/2015/2/एक दिनांक 01.06.2015 आयुक्त ग्वालियर के पत्र क्रमांक क्यू/स्था./शिका./8/2015/5110 दिनांक 15.06.2015 से दतिया गिर्द के सर्वे क्रमांक 257 रकबा 142.12 एकड़ जोकि वर्ष 1943–44 की किस्त बंदी में जंगल दर्ज है। के संबंध में श्री महेन्द्र बौद्ध द्वारा शिकायते प्रस्तुत की है। इन्ही शिकायतो के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सूचना पत्र जारी किया है।
2. यहकि, सूचना पत्र में यह उल्लेख किया है, कि तहसीलदार दतिया के प्रतिवेदन से स्पष्ट है दतिया गिर्द के सर्वे क्रमांक 257 रकवा 142.12 एकड यानि 57.514 हे0 जोकि वर्ष 1943–44 की किस्त बंदी खतौनी में जंगल दर्ज है वर्तमान अभिलेख में

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./371/एक/2017 जिला दतिया

अरुण भारती विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~17/6/19~~ 20/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-25/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30/12/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13/08/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 20/6/19 सदस्य	